

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI**

INDEX

IN

REJOINDER AFFIDAVIT

(On Behalf of Vipin Nayyar.....Original Applicant)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO 305 OF 2022

IN THE MATTER OF:-

VIPIN NAYYAR

...Applicant

Versus

UNION OF INDIA AND ORS

...Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO
1	Index	591 – 592
2	Rejoinder Affidavit on behalf of the Original Applicant to the Counter Affidavit filed by respondent no. 5 District Magistrate Dehradun.	593 – 599
3	<i>Annexure R-1(Colly) :</i> The True Copies of the Khatonis of village Veerpur Khurd fasli varsh 1408-1413, 1414-1419, 1420-1425 and 1426-1431.	600 – 610

4	<u>Annexure R-2(Colly):</u> The true copies of the Gazette Notification declaring area of Municipal Corporation Rishikesh.	611 – 615
5	<u>Annexure R-3(Colly):</u> The true copies of the Map fasli varsh 1400 and punrikshit Khasra fasli vash 1400.	616 – 617
6	<u>Annexure R-4:</u> The true copy of the full size beat map of the forest department with demarcation of Flood Plain Zones.	618

Filed By



Vipin Nayyar

(Applicant in Person)

305, Gali No. 8, Veerbhadra Marg,

Rishikesh-249201, Uttarakhand

Place : Nainital

Filed On - 16.02.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI

REJOINDER AFFIDAVIT

(On Behalf of Vipin Nayyar.....Original Applicant)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO 305 OF 2022

IN THE MATTER OF:-

VIPIN NAYYAR

...Applicant

Versus

UNION OF INDIA AND ORS


...Respondents

NDOH- 20.02.2024

REJOINDER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE ORIGINAL
APPLICANT TO THE COUNTER AFFIDAVIT FILED BY
RESPONDENT NO. 5 DISTRICT MAGISTRATE DEHRADUN ON
06.12.2023

I, Vipin Nayyar, S/o Mr. Surinder Kumar Nayyar, aged 49 years, R/o 305, Gali No. 8, Veerbhadra Road, Rishikesh 249201-Uttarakhand, the deponent do solemnly affirm and state as under :—

1. That I am the Applicant in the Original Application No. 305 of 2022 being Vipin Nayyar vs Union of India and Ors



pending before this Hon'ble Tribunal and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case, hence competent to swear this Rejoinder Affidavit.

2. That the instant Rejoinder Affidavit is being filed in response to the Counter Affidavit dated 06.12.2023 filed by Respondent No. 5 District Magistrate Dehradun.
3. That Respondent No. 5 District Magistrate Dehradun has filed the Counter Affidavit in a cursory manner without advertng to the substantial questions of environmental violations as raised in the instant Original Application.
4. That Respondent No. 5 District Magistrate Dehradun is the Flood Plain Zoning Authority under Uttarakhand Flood Plain Zoning Act 2012 and has completely failed to address the issue of illegal construction of Mogha Resort in the flood plains of River Ganga as well as of River Rambha.
5. That Respondent No. 5 has annexed at para no. 5(II) of the Counter Affidavit an Order dated 08.01.2021 of the Assistant Collector (First Class) Rishikesh (page no. 502) declaring Surender Moga a land owner with transferable rights under section 122B (4F) of Uttar Pradesh Zamindari Abolition & Land Reforms Act 1950 (hereinafter referred to as UPZA&LR Act).
6. That the Order dated 08.01.2021 of the Assistant Collector (First Class) Rishikesh is completely illegal and an abuse of the process of law as under section 122B (4F) of UPZA&LR




A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the notary, Rajeev Shah.

Act 1950 a person is only entitled to be admitted as a *bhumidhar* with **non-transferable rights** (असंक्रमणीय) whereas respondent no. 8 Surender Moga is directly admitted as a *bhumidhar* with **transferable rights** (संक्रमणीय), It is pertinent to mention that respondent no. 8 has never been declared as a *bhumidhar* with **non-transferable rights** (असंक्रमणीय) in the past and there exists no order to that effect.

7. That there is no provision under UPZA&LR Act 1950 to admit a *bhumidhar* directly with **transferable rights of a land** (संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर), firstly a person can only be admitted as a *bhumidhar* with **non-transferable rights** (असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर). The applicant/deponent has taken out the certified copies of the following Khatonis :—

S.No.	Khatonies खतौनी फसली वर्ष	Name of persons admitted as <i>bhumidhar</i> in Khasra no. 94 & 95 (नई परती)	Rights given on the Land
1	1408 – 1413	Kamla Devi w/o Kedar Singh vide order dated 11.07.1997 & vide order dated 11.06.2004	Non - transferable
2	1414 – 1419	1) Tetri Devi w/o Harinath vide order dated 26.04.2007 2) R.B.Badli s/o late Shri Dhananand Badli vide order dated 04.10.2006	Non transferable Non - transferable



[Handwritten Signature]

3	1420 – 1425	Kamla Devi w/o Suresh Chandra vide order dated 23.05.2016	Non - transferable
4	1426 – 1431	Surender Mogha s/o Paltu Ram vide order dated 08.01.2021 (Respondent No. 8) Order is illegal and prepared under political duress as village Veerpur Khurd was already declared as Urban Area under Municipal Corporation Rishikesh vide gazette notification no. 2403/IV(3)/2017-01(01) / 2012 dated 08 December 2017 and after this date provisions of UPZA&LR Act 1950 do not apply.	Transferable no person can be directly declared as <i>bhumidhar</i> with Transferable Rights under UPZA&LR Act.

True copies of the above Khatonies are annexed hereto as **Annexure R-1(Colly).**

8. That the the Assistant Collector (First Class) Rishikesh had no authority or Jurisdiction to pass such an order on 08.01.2021 as complete area of village Veerpur Khurd (Birpur Khurd) was merged into Municipal Council Rishikesh vide gazette notification no. 2044/IV(3)/2017-01(01)/2012 T.C.-1 dated 06 November 2017 and vide gazette notification no. 2403/IV(3)/2017-01(01)/2012 dated 08 December 2017 the Municipal Council was converted into Municipal Corporation Rishikesh under Article 243 of the Constitution of India. And



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W.P.' or similar initials.


UPZA&LR Act 1950 does not apply to urban areas falling under Municipal Corporation. True copies of the gazette notification no. 2044/IV(3)/2017-01(01)/2012 T.C.-1 dated 06 November 2017 and gazette notification no. 2403/IV(3)/2017-01(01)/2012 dated 08 December 2017 are annexed hereto as Annexure R-2(Colly).

9. That the Order dated 08.01.2021 of the Assistant Collector (First Class) Rishikesh is illegal and barred by section 132(a) of UPZA&LR Act 1950 as the land in question is in the River Bed of Ganga and no *bhumidhari* rights shall accrue to lands covered by water or land in the bed of a river. It is evident from revenue records पुनरीक्षित खसरा फसली वर्ष 1400 that Khasra No. 94Gha (94 घ) Area 0.0450 hectare given to respondent no. 8 is a *Nala* (नाला) and also Khasra No. 94Da (94 ड) Area 0.0810 hectare given to respondent no. 8 is also a *Nala* (नाला) and *Nala* cannot be allotted to anyone. True copies of the map उदरण नक़ल नक्शा फसली वर्ष 1400 and उदरण नक़ल पुनरीक्षित खसरा फसली वर्ष 1400 are annexed hereto as Annexure R-3(Colly).

10. That the copy of उदरण नक़ल पुनरीक्षित खसरा फसली वर्ष 1400 is annexed at page no. 508 of the Counter Affidavit by Respondent No. 5 District Magistrate Dehradun in such a way that "type of land" "अभ्युक्ति" column could be concealed from the purview of the Hon'ble Tribunal.



11. That Order dated 08.01.2021 of the Assistant Collector (First Class) Rishikesh is a classical example of blatant effrontery and impudence under the political duress and pressure.
12. That the District Administration in connivance with the former State Minister (respondent no. 8) has arbitrarily and illegally and without any Jurisdiction, under a vexatious proceeding given *Nala* (Land under water) within urban limits of Municipal Corporation Rishikesh, on the edge of the reserve forest in Veerbhadra Kaksh Sankhya 1 (कक्ष संख्या 1) so to facilitate him to enroach the reserve forest and construct an illegal resort in the Flood Plain Zone of River Ganga as well as that of River Rambha and within the Prohibited Zone of Archaeological Excavation Site (उत्खनित स्थल) a heritage of national importance.
13. That it is pertinent to bring to the notice of the Hon'ble Tribunal that the Irrigation Department under Flood Plain Zoning Authority has marked 1:25 years, 1:50 years and 1:100 years on the beat map of the forest department in Veerbhadra Kaksh Sankhya 1 (कक्ष संख्या 1) and Kaksh Sankhya 2 (कक्ष संख्या 2). The coloured copy of the full size beat map of the forest department is annexed hereto as Annexure R-4.
14. That the Director Map Archive & Dissemination Centre, Survey of India based on reserve forest map of year 1922 – 23 has in his counter affidavit dated 08.01.2024 has also



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rajeev Shah", located at the bottom right of the page.

confirmed that Co-ordinates 30°03'58.2"N , 78°16'50.4"E and 30°03'59"N and 78°16'51"E pertaining to Mogha Resort falls within the area of Veerbhadra Reserve Forest.

15. That in view of the facts and circumstances as explained hereinabove the present Original Application may kindly be listed for final order.

VERIFICATION

I, the Deponent herein, do hereby verify that the contents of the above Rejoinder Affidavit are correct and true to the best of my knowledge and nothing material has been concealed therefrom and the annexures filed alongwith this affidavit are true copies of their original.

Verified at Nainital on this 16th day of February, 2024.



DEPONENT

certified that Sri/Smt. Vipin Nayyar S/o Mr. Sarindoo Kumar Nayyar
the Deponent Identified by 2222
Sworn & Verified the Contents of
the Affidavit at NAINITAL
on Date 16.2.2024

210 305 Sahi N. 8,
Veerbhadra Road
Rishikesh 249201
Uttarakhand

Rajeev Shah
RAJEEV SHAH
Notary HQ Nainital
Reg. No. 17 (10), 2003

Ashaa road N. - 8 461809A 22602

४७५	०१०१००
४७६	०१०१००
४७७	०१००१०
४७८	०१००१०
४७९	०१०१००
४८०	०१००१०
४८१	०१०१००
४८२	०१०१००
४८३	०१०१००
४८४	०१०१००
४८५	०१०१००
४८६	०१०१००
४८७	०१०१००
४८८	०१०१००
४८९	०१०१००
४९०	०१०१००
४९१	०१०१००
४९२	०१०१००
४९३	०१०१००
४९४	०१०१००
४९५	०१०१००
४९६	०१०१००
४९७	०१०१००
४९८	०१०१००
४९९	०१०१००
५००	०१०१००

सत्य प्रतिलिपि
 राजस्थान कानून
 विभाग



२६ ०१०१००

वर्ग २ (अ) पुरानी परती (अ) कृषि मोग्य वजरे कामे ३ (क) से सेवन जो वससम्पत्ति विधान के अन्धीन वन के वन मे रखे गये हो आ
 रुवसे प्रमाणित हो जाये - - - - - नकारके
 अ। अन्य प्रकार के वन (ए) से सेवन जिसेम इमारती लकड़ी के वन हो - - - - - नकारके

पट्टेदार का नाम	विशेष/पि संरक्षक का नाम	निष्पात/व्यय	भौतिक अधिकार	वाते के परदेक का संख्या	परदेक गट्टे का क्षेत्रफल (हे.)	वाटेदार द्वारा देय नालपुष्पारी या लगान	विशेष नकदी आका या उसका भाग/शे. उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आका देते वाले अधिकारी का पद	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7-12	8	9
जेकल - खतौली - ग्राम - वीरपुरखुर्द परगना - परकान तहसील - साधिकेश जनदेहासून सफा 1414-1419 फतला								
पेची: 4-क	उ.प्र. अधिनियम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अर्जित की गयी अतिरिक्त भूमि							13
पेची: 4-क-क	जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 26-ए या 27 (3) के उपबन्धों के अधीन किसी पट्टेदार के अधिकार में हो।							
पेची: 4-क-ख	जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तर्गम अवधि के किसी पट्टेदार के अधिकार में हो।							
पेची: 4-क-ग	अन्य भूमि							
पेची: 5	कृषि योग्य भूमि							
पेची: 5-1	नदी परतों (परती जदीद)							

602

वीरपुरखुर्द
1414-19

00222 नई वर्ग

12घ	0 0560	अदिशानुसार परगनाधिकारी कृषिविधायक नो 0 26-4-07
17घ	0 0010	आदेश हुआ कि ग्राम वीरपुर खुर्द के खाला न. 195 के
20घ	0 0100	ख न. 95 मि रकबा 0 004 हे. भूमि पर धीमति लेतनी देवी
31घ	0 0200	पत्नी इस्तिनाथ का नाम वतीर विनियमितकरण आवासी
35घ	0 0120	अनक्रमणीय भूमिधर की हैसियत में पेची 6 (2) अंकित
35घ	0 0060	किमा दावे (आदेश पत्रावली में)
40घ	0 0100	अदिशानुसार परगनाधिकारी कृषिविधायक दिनांक 4 10 06
44घ	0 0010	के अनुसार ग्राम वीरपुरखुर्द के खाला नो 222 के
45घ	0 0100	खाला नो 222 के खमरा नो 95 मि रकबा 0 012 हे 0 र
47घ	0 0010	ग्राम सभाज का नाम खारिज कर होकर और श्री. तदनी
49घ	0 0160	पुत्र स्व. भद्रानन्द जदनी मि. ग्राम का नाम अनक्रमणीय
52घ	0 0010	भूमिधर दावे (अदेश पत्रावली में)
55घ	0 0010	
56घ	0 0010	

सत्य प्रतिलिपि
राजिंदर कानूनांग
रूपिकेश

विभाग का नाम
हस्ताक्षर
राम साहू

विभागाध्यक्ष का नाम

निर्वाहक

भौतिक अधिकार प्राप्त होने का फरती वर्ष

गाटे के प्रकार का संकलन

प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

दासदार द्वारा दिए गए नालपुजारी या नगान

परिवर्तन संदर्भ क्रमांक या संख्या तथा दिनांक तबित और अज्ञात होने वाले अधिकारी का पद

दिनांक

603

1	2	3	4	5	6	7-12	13
			64ग	0.0010			
			64क	0.0100			
			65	0.0110			
			67ग	0.0200			
			68ग	0.0100			
			69ग	0.0150			
			84ग	0.0200			
			87ग	0.0100			
			93ग	0.0050			
			94ग	0.0450			
			94क मि	0.0810			
			96क मि	0.0210			
			कुल गाटे : 26	क्षे : 0.3910	0.00		
	योग श्रेणी: 5-1	कुल गाटे:	26	कुल क्षे:	0.3910	0.00	

- बंसी: 5-2 - बुरानी परती (परती कबीरा)
- बंसी: 5-3 - कृषियोग्य बंजर
- बंसी: 5-3-क - इमारती लकड़ी के बन
- बंसी: 5-3-क-1 - जो बन विभाग के प्रबन्ध में हैं। (इस में मृतपूर्वनिजी बन भी सम्मिलित है, जो बन विभाग को सौंप दियेगये)
- बंसी: 5-3-क-2 - गाँव समाजों में निहित।
- बंसी: 5-3-क-3 - ऐसे बन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों के दूधर, झाड़ियों इत्यादि हों।

सत्य प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार आनुवांशिक
अधिकारी

क्र.सं.	मोहब्बत सिंह थापा / कवीर सिंह थापा / निवासी तिलक रोड ऋषिकेश	कुल योग खाता-	1	0.0120	₹ 0.3	सुरेश कुमार का नाम असंक्रमणीय भूमिधरी से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया है।(परवाना)	00220
00258		1407 फ से 1407 फ से	94ग 95क	0.2020 0.2020		आदेशानुसार रा० नि० द्वारा प क 11ख दिनांक 13.03.13 के अनुसार खाता सं० 220 नया 258 से मूलक मोहब्बत सिंह के स्थान पर मुकेश थापा, मनोज थापा पुत्रगण मोहब्बत सिंह थापा, श्रीमती राधा देवी पत्नी मोहब्बत सिंह निवासी मंगानगर ऋषिकेश का नाम बतौर वारिस दर्ज होये।(विरासत) न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं० 38/14/15.04.14 राधा देवी बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 131ख ZALR शासनादेश संख्या 68/14की 1-2(क) 3/1995 दिनांक 14.01.1995 के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द के खतौनी भूमि खाता सं० 258 फसली 1420 से 1425 खसरा न० 94ग व 95क कुल खसरा सं० 2 कुल रकबा 0.4040हे ल०7.50 रु० परतानुसार भूमि की राधा देवी पत्नी मोहब्बत सिंह थापा के नाम वर्ग-2 असंक्रमणीय भूमिधर से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होये।(परवाने से)	
00259	श्रीमती कमला देवी / केदार सिंह / नि. ग्राम	कुल योग खाता- 1411फ.से 1411फ.से	2 95मि 94	0.4040 0.0120 0.0080	₹ 7.5		00221
		कुल योग खाता- श्रेणीवार कुल योग	2 5	0.0200 0.4360	₹ 0.0 ₹ 7.80		

श्रीगुरुदेव
1420-25

- 3 - भूमि के आसामियों के अध्यासन या अधिकार में हो (नदारद)
- 3-घ - परसे पड़ेदार के रूप में हो, जिसको उपर्युक्त उपखंड(क) से (ग) तक में उल्लिखित भूमि गांव जामा ने निश्चितहोने के दिनांक पर या उसके बाद पड़े पर दी हो। (नदारद)
- 4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासनों के अधिकार में हो जब खसरे के स्तम्भ 4 में पहले से किसी व्यक्ति का नाम अमि लिखित न हो। (नदारद)
- 4-क - उ.प्र.अधिनियम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 केअन्तर्गत अर्जित की गयी अतिरिक्त भूमि (नदारद)
- 4-क-क - जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम कीधारा 26-ए या 27 (3) के उपबन्धों के अधीन किसीपड़ेदार के अधिकार में हो। (नदारद)
- 4-क-ख - जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम,1960 के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के किसी पड़ेदार के अधिकार में हो। (नदारद)
- 4-क-ग - अन्य भूमि (नदारद)
- 5 - कृषि योग्य भूमि (नदारद)
- 5-1 - नयी परती (परती जदीद)

00260	नई परती / /	125 17ग 20ख 31घ 35ग	0.0560 0.0010 0.0100 0.0200 0.0120		आदेशानुसार परगनाधिकारी ऋषिकेश ता० फ० 26-4-07 आदेश हुआ कि ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता सं 195 के ख न 95मि रकबा० 004 हे भूमि पर श्रीमति तेजती देवी पत्नी हरिनाथ का नाम बतौर विनियमितिकरण आवादी असंक्रमणीय भूमिधर की	00222
-------	-------------	---------------------------------	--	--	---	-------

सुरेश कुमार
परवाहा नदरे संसिकेय
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश
विरासत

० एक वर्तनी द्वैबन्धीयक विभागीय सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा क्रियोजन हमलावार द्वारा हमला करित है

35घ	0.0080	हैसियत से श्रेणी 6 (2) अंकित किया जाये (आदेश पत्रावली से)
40घ	0.0100	
44ग	0.0010	आदेशानुसार उप-जिलाधिकारी कृषिकेश दिनांक
45ख	0.0100	4.10.06 के अनुसार ग्राम वीरपुरखुर्द के खाता सं०
47ग	0.0010	222 के खसरा न० 222 के खसरा न० 95मि रकबा
49घ	0.0100	0.012है० पर ग्राम समाज का नाम खारिज कर होकर
52ख	0.0010	आर बी जदली पुत्र स्यो धनानन्द जदली नि ग्राम का
55ख	0.0010	नाम असंक्रमणीय भूमिघर दर्ज है। (आदेश
56ग	0.0010	पत्रावली से)
64ग	0.0010	आदेशानुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम
64ख	0.0100	श्रेणी कृषिकेश वाद सं० 01/2014-15 ग्राम वीरपुरखुर्द
65घ	0.0110	परगना परवाद्त 1:2(4)एफ क्रमला देवी बनाम
67ख	0.0200	सरकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस
68ख	0.0100	न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2016 के आधार
69ख	0.0150	पर ग्राम कृषिकेश के खाता सं० 260 फसली वर्ष
84घ	0.0200	1420-1425 श्रेणी 5(1) नई परती के
87ख	0.0100	खसरा न० 95मि रकबा 0.0050है० भूमि श्रीमती
93ख	0.0050	कमला देवी पत्नी सुरेशचन्द्र निवासी वीरपुरखुर्द के
94घ	0.0450	नाम असंक्रमणीय भूमिघर में दर्ज किये जाने के
94इ मि	0.0810	आदेश पारित किये गये (परवाला)
95ख मि	0.0210	
	26	0.3910 ₹ 0.00

कुल योग खाता-
श्रीगीवर कुल योग

26

0.3910 ₹ 0.00

5-2 - पुरानी परती (परती कदीम) (नदारद)

5-3 - कृषियोग्य बंजर (नदारद)

5-3-क - इमारती नकली के वन (नदारद)

5-3-क-1 - जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो (इसमें मृतपूर्वनिजी वन भी सम्मिलित है, जो वन विभाग को सौंप दियेगये) (नदारद)

5-3-क-2 - गांव समाजों में निहित । (नदारद)

5-3-ख - ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ केसुएडा, झाड़ियाँ इत्यादि हों। (नदारद)

5-3-ख-1 - जो वन वन विभाग के प्रबन्ध में हों (इसमें मृतपूर्वनिजी वन भी सम्मिलित है जो वन विभाग को सौंप दियेहो) (नदारद)

5-3-ख-2 - गांव समाजों में निहित । (नदारद)

5-3-ग - स्थाई पशुघर भूमि और चराई की अन्य भूमियां। (नदारद)

5-3-घ - छप्पर छाने की घास तथा बॉस की कोंठिया। (नदारद)

5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य वन भूमि

सत्य प्रतिष्ठापि
रक्षित
व्यक्तिगत



ग्राम क्रमांक : 045341

ग्राम का नाम / परगना : वीरपुरखर्द(परवाटून)

तहसील : ऋषिकेश

जनपद : देहरादून

फसली वर्ष : 1426-1431

भाग : 1

5-1/नयी परती (परती जदीद)

खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ————— 2 —————	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ————— 3 —————	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ————— 4 —————	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ————— 5 —————	खातेदार द्वारा देय मासगुजारी या लगान ————— 6 —————	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ————— 7-12 —————	टिप्पणी —————13—————
00273	नई परती//		12इ 17ग 20ख 31ख 35ग 35घ 40इ 44ग 45ख 47ग 49इ 52ख 55ख 56ग 64ग 64ख 65इ 67ख 68घ 69घ 84घ 87ख 93ख 94ग 94इ मि 95ख मि.	0.0560 0.0010 0.0100 0.0200 0.0120 0.0080 0.0100 0.0010 0.0100 0.0010 0.0100 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0100 0.0200 0.0100 0.0150 0.0200 0.0100 0.0050 0.0450 0.0810 0.0210	0.00	आदेशानुसार परगनाधिकारी ऋषिकेश ता0 फे0 26-4-07 आदेश हुआ कि ग्राम वीरपुर खर्द के खाता स. 195 के ख.न.95मि रकबा0.004 हे.भूमि पर ग्रामति तैतरी देवी पत्नी हरिनाथ का नाम बतौर विनियमितकरण आवादी असंक्रमणीय भूमिधर की हैसियत से श्रेणी 6 (2) अंकित किया जावे. (आदेश पत्रावली से) आदेशानुसार उप-जिलाधिकारी ऋषिकेश दिनांक 4.10.06 के अनुसार ग्राम वीरपुरखर्द के खाता सं0 222 के खसरा न0 222 के खसरा न0 95मि. रकबा 0.012हे0 पर ग्राम समाज का नाम खारिज कर होकर आर.वी.जदली पुत्र स्व0 धनानन्द जदली नि.ग्राम का नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज होये।(आदेश पत्रावली से) आदेशानुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं0 01/2014-15 ग्राम वीरपुरखर्द परगना परवाटून 122(4)एफ कमला देवी बनाम सरकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2016 के आधार पर ग्राम ऋषिकेश के खाता सं0 260 फसली वर्ष 1420-1425 श्रेणी 5(1) नई परती के खसरा न0 95मि. रकबा 0.0050हे0 भूमि श्रीमती कमला देवी पत्नी सुरेशचन्द्र निवासी वीरपुरखर्द के नाम असंक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज किय जाने के आदेश पारित किये गये (परवाना) आ.न्या.सहा.कले.प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं0 विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार मीजा वीरपुर खर्द धारा 131ख ज0नि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक 08.01.2021 के अनुसार ग्राम वीरपुरखर्द के खाता सं0 260 के खसरा न0 94घ रकबा 0.0450हे, खसरा न0 94इ रकबा 0.0810हे, खसरा न0 95ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390हे. भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्लूराम नि0 ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0प्र0 ज0 नि0 एं0 भू0व्य0 अधि0 1950 की धारा 122बी (4घ) के अनुसार विनियमितकरण करते हुये संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होवे. परवाने से एं0 सं0 86 क्र0 11	
			26	0.3910			



कुल गाटे: दो छ: कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव तीन नौ एक कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव शून्य शून्य



उद्घरण खतौनी
615

607

Pages 2 of 2

खाता खतौनी क्रम संख्या --- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की बसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालयुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी -----13-----
--	---	--	---	--	---	--	-------------------------

Data Digitally Signed by : PRAMOD KUMAR SHARMA

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : ऋषिकेश

जनपद : देहरादून

दिनांक एवं समय : 25-01-2024 01:46:26 PM

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।





उद्घरण खतौनी
616

608

Pages 1 of 1

ग्राम क्रमांक : 045341

ग्राम का नाम / परगना : बीरपुरखर्द(परवाटूत)

तहसील : ऋषिकेश

जनपद : देहरादून

फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

6-5/को अन्य कारणों से अकृषिक हो

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
— 1 —	2	3	4	5	6	7-12	13
00282	श्रीमती शीला देवी/राजसिंह/निवासी बीरपुर खुर्द	1403 फ.से	95ब मि.	0.0120	0.00	आ.ना.तह.मि.न.2717/17.8.07 खा.स.पु.202 नया230 ख.न.95ब रकबा 0.0120हे. व.0.30 पै. से श्रीमती शीला देवी पत्नी राजसिंह नि.ग्राम खारिज कर राजेन्द्र गिरि शिष्य भागीरथ गिरि नि. बीरपुर खुर्द दर्ज होवे. (बैनामा)	
			1	0.0120			

कुल गाटे: एक कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव शून्य एक दो कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : PRAMOD KUMAR SHARMA

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : ऋषिकेश

जनपद : देहरादून

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

दिनांक एवं समय : 25-01-2024 01:46:58 PM





उद्दरण खतौनी
617

609

Pages 1 of 1

ग्राम क्रमांक : 045341

ग्राम का नाम / परगना : बीरपुरखर्द(परवाडून)

तहसील : ऋषिकेश

जनपद : देहरादून

फसली वर्ष : 1426-1431

भाग : 1

2/भूमि जो असक्रमणपि अधिकार वाले भूमिधारो केजधिकार मे हो

खाता खतौनी क्रम संख्या --- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ----- 2 -----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ----- 3 -----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ----- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय सालगुजारी या लगान ----- 6 -----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ----- 7-12 -----	टिप्पणी ----- 13 -----
00272	श्रीमती कमला देवी/केदार सिंह/नि. ग्राम	1411फ.से 1411फ.से	95मि 94	0.0120 0.0080	0.00		
			2	0.0200			

कुल गाटे: दो कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव शून्य दो कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : PRAMOD KUMAR SHARMA

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : ऋषिकेश

जनपद : देहरादून

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

दिनांक एवं समय : 25-01-2024 01:47:13 PM





उद्घरण खतौनी
618

610

ग्राम क्रमांक : 045341

ग्राम का नाम / परगना : वीरपुरखर्द(परवाटून)

तहसील : ऋषिकेश

जनपद : देहरादून

फसली वर्ष : 1426-1431

भाग : 1

1-क/भूमि जो सक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
--- 1 ---	----- 2 -----	----- 3 -----	----- 4 -----	----- 5 -----	----- 6 -----	----- 7-12 -----	----- 13 -----
00029	कमला देवी/सुरेश चन्द/निवासी वीरपुर खुर्द	1406 फ.से	95मि.	0.0120	0.30		
			1	0.0120			

कुल गाटे: एक कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव शून्य एक दो कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव तीन शून्य

Data Digitally Signed by : PRAMOD KUMAR SHARMA

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : ऋषिकेश जनपद : देहरादून

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

दिनांक एवं समय : 25-01-2024 01:47:28 PM



उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- /IV(3)/2017-01(01)/2012
देहरादून: दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 3 की उपधारा (2) सपठित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ऋषिकेश नगर जिला देहरादून के समग्र विकास के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के वर्तमान लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनों हेतु वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए, और अग्रेत्तर संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन अधिसूचित करते हैं कि उक्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र (जो कि अनुसूची में उल्लिखित है) नगर निगम ऋषिकेश जिला देहरादून का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची

नगर पालिका परिषद ऋषिकेश का समस्त क्षेत्र

/
(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या- (1)/IV(3)/2017-01(01)/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


/
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव।

संख्या 2463 (2) IV(3)/2017-01(01)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।

5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनका प्रसार जिला देहरादून में व्यापक रूप से होता हो।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

06.12.17
(विनोद कुमार शुर्मा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या:-2449 /IV(3)2017-01(01)/2012

देहरादून दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में सथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या-2403 /IV(3)2017-01(06 न0नि0)/2017, दिनांक 09 दिसम्बर, 2017 के क्रम में चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन, ऋषिकेश वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का सम्यक गठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, राज्यपाल एतद्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-5 के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु धारा 8 कक (1) के अधीन ऋषिकेश नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश को अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से विघटन हो जायेगा।

तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8कक (1)(ख) के अन्तर्गत ऋषिकेश नगर क्षेत्र के संचालन हेतु जिलाधिकारी देहरादून को नगर निगम ऋषिकेश का प्रशासक नियुक्त करते हैं।

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या:-2449 /IV(3)2017-01(01)/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु प्रेषित।
4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 शहरी विकास मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु प्रेषित।
5. निजी सचिव-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
7. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इण्डस्ट्रियल एरिया, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की 50 प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, स्थानीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, ऋषिकेश।
14. अध्यक्ष एवं समस्त सभासदगण, नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश द्वारा निदेशक, शहरी विकास।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3
संख्या- /IV(3)/2017-01(01)/2012 टी0सी0-1
देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर, 2017
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1918 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची एक में उल्लिखित क्षेत्र को जनपद देहरादून के नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित करने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1737/IV(3)/2017-01(01)/2012 टी0सी0-1, दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (घ) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र नगर के नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद देहरादून का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची-एक

क्र०सं०	सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम का नाम	क्षेत्रफल वर्ग किमी०	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)
1	ऋषिकेश ग्राम सभा का सम्पूर्ण क्षेत्र	14.00	34775
2	वीरपुर खुर्द ग्राम सभा का सम्पूर्ण क्षेत्र	2.00	1356
योग		16.00	36131

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या- (1)/IV(3)/2017-01(01)/2012 टी0सी0-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या २०१११ (2) IV(3)/2017-01(01)/2012 टी0सी0-1, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनका प्रसार जिला देहरादून में व्यापक रूप से होता हो।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।
 M

उपर्युक्त नकल 624 प्रोजेक्ट वीरपुर खुर्द परवाड़न
 फसली 1400 जिला देहरादून
 पैगाना 25 हे० मी० 1 कि०मी०
 आवासीय काम हेतु


616

पुनः संरच्योक्तनखल
 संमानचित्र संवेक्षण

ग्राम-वीरपुर खुर्द

परगना:- परवाड़न
 तहसील:- देहरादून
 जिला:- देहरादून

ईसवीसन:- १९९२-९३
 फसलीसन:- १९००
 ए.स.मी.१५० मी. १ जरीब



सरकारी जंगल

सरकारी जंगल

₹10
 UTTARANCHAL COURT FEE
 LICHT100431222580
 10-APR-2023

₹10
 UTTARANCHAL COURT FEE
 LICHT100431222580
 10-APR-2023

चिन्ह सूची	
आवादी	JL JL
रास्ता	—
गूल	—
मन्दिर	⚐
बाग	⊕ ⊕
नाला	~


प्रार्थना पत्र 6171/26.11.23
 प्रार्थी का नाम विनोद कुमार चौहान
 तैयारी का दिनांक 27.11.23

शब्दों की संख्या 200
 कोर्ट फीस मूल्य 200/-
 तैयारी का दिनांक 27.11.23

प्रतिलिपिकृत नकल
 के हस्ताक्षर



पुर्णक:- ६५ गाटा



अनुरेखक
 (विनीत कुमार चौहरी)

मानोचयनकार
 (सु. अनुस)

(अब्दुल हक)
 सर्वे कारूनगो

(अमरुद्दीन)
 सर्वे नायब तहसीलदार

खोन्दा गोडबोले
 सहायक अभिलेख अधिकारी

उत्तराखण्ड पुनरोक्षित खसरा सूची 625 का पीपुल्स फोरम पंचायत की 1400

सर्वेक्षण प्रपत्र - चौदह
(नियम ३० देखिए)

जिला देहरादून

617

69

पुनरोक्षित खसरा




ग्राम जौशपुर परगना पश्चादून तहसील देहरादून जिला देहरादून

नयी संख्या	क्षेत्रफल	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	पुनरोक्षित खतोनी की खाता खतोनी संख्या	अन्तिम बन्दोबस्त का मूदा वग	सिचाई का स्रोत यदि कोई हो	बध्द्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८
२३ क	०-०४५०	२ प्रो.	०-०४५०	१४५	सफा नं० २		सफा आओर
२४	०-००५०	२ प्रो.	०-००५०	१४२	सफा नं० २		सफा आओर
२४ क	०-०६३०	४ प्रो.	०-०६३०	१४३	सफा नं० २		सफा आओर
२५	०-०८१०	६ प्रो.	०-०८१०	१	सफा नं० २		नाला
२६	०-२०२०	६ प्रो.	०-२०२०	१४१	सफा नं० २		नाला
✓ घ	०-०४५०	६ प्रो.	०-०४५०	१४२	सफा नं० २		नाला
✓ ड	०-०८८०	६ प्रो.	०-०८८०	१४२	सफा नं० २		नाला नदी परती
२५ क	०-२०२०	३ प्रो.	०-२०२०	१४१	सफा नं० २	आओर	
✓ २५	०-०४८०	३ प्रो.	०-०४८०	१४२	सफा नं० २		नदी परती बन्दोबस्त
ग	०-०८८०	४ प्रो.	०-०८८०	१४३	सफा नं० २		खाला
	०-२८००		०-२८००				
				क्रोषिक	अक्रोषिक	आओर	आओर
				०-२०२०	०-६६८०	०-२८३०	०-३८५०



सर्वेक्षण लेखपाल सर्वेक्षण कानूनगो सर्वेक्षण नायब तहसीलदार

1/4 ccr	= 000r
1/2 ccr	= 000r
3/4 ccr	= 000r
1 ccr	= 000r
1 1/4 ccr	= 000r
1 1/2 ccr	= 000r
1 3/4 ccr	= 000r
2 ccr	= 000r
2 1/4 ccr	= 000r
2 1/2 ccr	= 000r
2 3/4 ccr	= 000r
3 ccr	= 000r
3 1/4 ccr	= 000r
3 1/2 ccr	= 000r
3 3/4 ccr	= 000r
4 ccr	= 000r
4 1/4 ccr	= 000r
4 1/2 ccr	= 000r
4 3/4 ccr	= 000r
5 ccr	= 000r
5 1/4 ccr	= 000r
5 1/2 ccr	= 000r
5 3/4 ccr	= 000r
6 ccr	= 000r
6 1/4 ccr	= 000r
6 1/2 ccr	= 000r
6 3/4 ccr	= 000r
7 ccr	= 000r
7 1/4 ccr	= 000r
7 1/2 ccr	= 000r
7 3/4 ccr	= 000r
8 ccr	= 000r
8 1/4 ccr	= 000r
8 1/2 ccr	= 000r
8 3/4 ccr	= 000r
9 ccr	= 000r
9 1/4 ccr	= 000r
9 1/2 ccr	= 000r
9 3/4 ccr	= 000r
10 ccr	= 000r



Photocopy Attached
[Signature]
 Assistant Engineer,
 Irrigation Division, Dehradun

100 YARDS 1/4 FL Line
 50 YARDS 1/2 FL Line
 25 YARDS 3/4 FL Line

100 YARDS FFE from Ghaghara river
 50 YARDS FFE from Gomti river
 25 YARDS FFE from Ghaghara river

8
 Rejected: 304+730-1134
 Regulatory: 2525+460-61 = 7187